# निर्णय

**यहकि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर कथन किया कि** यह कि ग्राम गिरवर, पटवार हल्का गिरवर, तहसील आबूरोड में प्रार्थीगण की खातेदरी एवं कब्जे काश्त निम्न खसरा नम्बरान व क्षेत्रफल की कृषि भूमि स्थित है :–

| खसरा नम्बरान | क्षेत्रफल बीघा में |
|---|---|
| 488 | 00–08 बीघा |
| 489 | 06–02 बीघा |
| 490 | 00–07 बीघा |
| 491 | 00–15 बीघा |
| 492 | 00–03 बीघा |
| 493 | 03–15 बीघा |
| **कुल किता 06** | **कुल रकबा 11–10 बीघा** |

उक्त कृषि भूमि से लगती हुई, अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की राजस्व रेकर्ड अनुसार खसरा संख्या 507/2 व 507/3 की क्रमश रकबा 10 बिस्वा एवं 01–02 बीघा कृषि भूमि स्थित है। प्रार्थीगण व उनके पूर्वज कदीमी समय से अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज खसरा संख्या 507/2 व 507/3 की क्रमश रकबा 10 बिस्वा एवं 01–02 बीघा कृषि भूमि में से खसरा संख्या 506 की सीमा से लगते हुऐ लगभग 30 फुट चौडा रास्ते का उपयोग उपभोग करते रहे है। प्रार्थीगण उक्त रास्ता ही अपने खेत में आने जाने हेतु एवं खेडाई हेतु ट्रेक्टर इत्यादि लाने ले जाने में उपयोग में लेते रहे है। जिस बाबत उन्हे कभी नही रोका गया। प्रार्थीगण की कृषि भूमि में आने जाने एवं कृषि कार्य सम्पादित किये जाने हेतु अन्य कोई रास्ता किसी भी रूप में कभी भी मौजुद नही रहा है। इसलिये प्रार्थीगण द्वारा कदीमी रास्ता जो खसरा संख्या 507 जिसके वर्तमान में खसरा नंबर 507/2 व 507/3 राजस्व रेकर्ड मे अप्रार्थी संख्या एक व दो के नाम दर्ज है जो खसरा संख्या 506 की सीमा से लगता हुआ एवं मुख्य मार्ग खसरा संख्या 509 से मिलता है मे से 30 फिट की चौडाई मे रास्ता दिलवाने का कथन किया है।

हमने प्रकरण को दर्ज कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये। अप्रार्थीगण को जारी नोटिस तामिल शुदा प्राप्त होने से शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थीगण का जवाब प्राप्त। अप्रार्थी संख्या एक व दो ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि अप्रार्थी संख्या एक व दो के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की खसरा संख्या 507/2 व 507/3 मे अथवा खसरा संख्या 506 की सीमा से लगते हुए लगभग 30 फुट चौडे तथाकथित रास्ते का कोई अस्तित्व कभी रहा ही नही तो प्रार्थीगण द्वारा उसके उपयोग उपभोग करते रहने का प्रश्न ही उत्पन्न नही होता है। बल्कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि से लगते हुए एवं खसरा संख्या 509 के मुख्य सडक मार्ग तक खसरा संख्या 504, 505, 506 की विशाल एवं अत्यन्त चौडाई वाले क्षेत्रफल एवं खसरा संख्या 508/1 की कृषि भूमि स्थित है। जिसमें से प्रार्थीगण आसानी से रास्ता प्राप्त कर अपनी कृषि भूमि तक कृषि कार्य हेतु आ जा सकते है, अपने कृषि साधन ट्रेक्टर आदि भी ले जा सकते है एवं उन्हे निकटतम व सुलभ मार्ग खसरा संख्या 504, 505, 506 की विशाल एवं अत्यन्त चौडाई वाले क्षेत्रफल एवं खसरा संख्या 508/1 वाली कृषि भूमि मे आसानी से उपलब्ध हो सकता है, किन्तु प्रार्थीगण जानबुझकर अप्रार्थी संख्या एक व दो को नुकसान पहुंचाने की एवं खसरा संख्या 504, 505, 506 के खातेदारो को फायदा पहुंचाने की बदनियतिपूर्वक उनकी कृषि भूमि मे से रास्ते की मांग नही कर अप्रार्थी संख्या एक व दो की कृषि भूमि मे से ही रास्ते की मांग कर रहे है। यदि अप्रार्थी संख्या एक व दो की कृषि भूमि मे से प्रार्थीगण को 30 फीट चौडा रास्ता दे दिया जाता है तो अप्रार्थी संख्या एक व दो की भूमियो के मूल रकबे एवं क्षेत्रफल मे मौके की भौगोलिक स्थिति अनुसार अत्यधिक परिवर्तन हो जायेगा एवं भूमियों के क्षेत्रफल एवं चौडाई में भी काफी कमी हो जायेगी तथा अप्रार्थी संख्या एक व दो अपने कब्जे काश्त की भूमियों के समुचित उपयोग उपभोग से भी पूर्णतया वंचित हो जायेगे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Saini
Date: 2021.02.24 09:30:38 IST
Reason: SelfAttested

—2

हमने उभय पक्षीय बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो के अवलोकन एवं बहस पर मनन के आधार पर प्रार्थीगण की खातेदारी तक पहुंचने के लिए लघुत्तम एवं निकटतम रूट विशाल एवं अत्यंत चौडाई वाले क्षेत्रफल खसरा नंबर 504, 505, 506 एवं 508/1 की कृषि भूमि मे स्थित है। उक्त खसरा नंबर के खातेदारो को पक्षकार नही बनाया गया है। इससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या एक व दो को हैरान एवं परेशान करने एवं नुकसान पहुंचाने की एवं खसरा नंबर 504, 505, 506 एवं 508/1 के खातेदारो को फायदा पहुंचाने के कारण अप्रार्थी संख्या एक व दो की कृषि भूमि से प्रार्थीगण द्वारा रास्ता की मांग की गई है। यदि अप्रार्थी संख्या एक व दो की कृषि भूमि मे से प्रार्थीगण को 30 फीट चौडा रास्ता दे दिया जाता है तो अप्रार्थी संख्या एक व दो की भूमियो के मूल रकबे एवं क्षेत्रफल मे मौके की भौगोलिक स्थिति अनुसार अत्यधिक परिवर्तन हो जायेगा एवं भूमियों के क्षेत्रफल एवं चौडाई में भी काफी कमी हो जायेगी तथा अप्रार्थी संख्या एक व दो अपने कब्जे काश्त की भूमियों के समुचित उपयोग उपभोग से भी पूर्णतया वंचित हो जायेगे। इस प्रकार निकटतम एवं लघुतम रूट को छोडते हुए मात्र सुविधा के लिए किसी अन्य कृषक की भूमि मे से रास्ता दिया जाना उचित नही रहेगा। इसलिये प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम परिपोषणीय नही होने से खारिज योग्य है।

## आदेश

अतः प्रार्थीगण की खातेदारी तक पहुंचने के लिए लघुत्तम एवं निकटतम रूट विशाल एवं अत्यंत चौडाई वाले क्षेत्रफल खसरा नंबर 504, 505, 506 एवं 508/1 की कृषि भूमि मे स्थित है। उक्त खसरा नंबर के खातेदारो को पक्षकार नही बनाया गया है। यदि अप्रार्थी संख्या एक व दो की कृषि भूमि मे से प्रार्थीगण को 30 फीट चौडा रास्ता दे दिया जाता है तो अप्रार्थी संख्या एक व दो की भूमियो के मूल रकबे एवं क्षेत्रफल मे मौके की भौगोलिक स्थिति अनुसार अत्यधिक परिवर्तन हो जायेगा एवं भूमियों के क्षेत्रफल एवं चौडाई में भी काफी कमी हो जायेगी तथा अप्रार्थी संख्या एक व दो अपने कब्जे काश्त की भूमियों के समुचित उपयोग उपभोग से भी पूर्णतया वंचित हो जायेगे। इस प्रकार निकटतम एवं लघुतम रूट को छोडते हुए मात्र सुविधा के लिए किसी अन्य कृषक की भूमि मे से रास्ता दिया जाना उचित नही रहेगा। इसलिये प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ गौरव सैनी ) I.A.S.
सहायक कलक्टर,आबूपर्वत

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Saini
Date: 2021.02.24 09:30:38 IST
Reason: SelfAttested